कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, रांची।

वन भवन, डोरण्डा, रांची–834002. Phone- 0651-2481909 (O) / 2480413 (F) email – pccfjharkhand@yahoo.co.in

परिपत्र

विषयः– कार्यालय में सफाई एवं उपलब्ध संसाधन का उचित उपयोग ।

कुछ दिनों पूर्व मैंने डोरंडा स्थित वन भवन परिसर में उपलब्ध सभी भवनों का निरीक्षण किया ।

निरीक्षण के कम में यह पाया गया कि कई स्थानों पर अत्यधिक गंदगी है । पुराने टूटे–फूटे अनुपयोगी सामान पड़े हुए हैं । कई कार्यालयों में जगह की कमी के कारण कर्मियों को बैठने में कठिनाई है, तो कहीं स्थान खाली पड़े हैं । किसी कार्यालय में संपूर्ण स्थापना है, परंतु साल भर में प्राप्त होने वाले पत्र मात्र 300–400, निर्गत होने वाले पत्र भी इतनी ही है ।

उपरोक्त व्यवस्था अत्यंत ही दयनीय हैं एवं सुप्रशासन के विपरीत है ।

अतः इस संबंध में निम्न निदेश दिए जाते हैं–

1. सभी कार्यालय प्रधान अपने कार्यालय एवं उसके आस–पास संपूर्ण सफाई सुनिश्चित करेंगे ।
2. कार्यालय में उपलब्ध पुराने टूटे–फूटे उपस्कर एवं अनुपयोगी सामान एवं पुराने अनुपयोगी वाहन भी नियमानुसार dispose किए जाएं । यह कार्य एक माह के अंदर अर्थात् अधिक–से–अधिक 30 जून 2015 तक पूर्ण कर लिया जाए ।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन सभी कार्यालयों की स्थापना की समीक्षा कर लें एवं यह देखें कि कार्यालयों की स्थापना में कर्मी कार्य के अनुरूप ही हो । अनेकों कार्यालय में कार्य बहुत अधिक हैं तथा कर्मियों की कमी है एवं कहीं स्थिति इसके ठीक विपरीत है । यह व्यवस्था भी एक माह के अंदर ठीक कर ली जाए । अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन उपरोक्त निदेशों के अनुपालन के लिए सभी उचित कार्रवाई करें एवं सुव्यवस्थित एवं स्वच्छ कार्यालयों को पुरस्कृत करने हेतु प्रस्तुत करने संबंधी प्रस्ताव भी तैयार कर अधोहस्ताक्षरी का अनुमोदन लें ।

   जून 2015 माह के अंत में मेरे द्वारा पुनः सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा एवं उपरोक्त निदेशों के अनुपालन में शिथिलता पाए जाने पर इसकी प्रविष्टि संबंधित कार्यालय प्रधान के वार्षिक चारित्री में भी की जा सकती है ।

(बी0सी0 निगम)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक

ज्ञापांक–1749 रांची, दि0– 21.5.15

प्रतिलिपि : वन भवन, डोरंडा स्थित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

ज्ञापांक–1749 रांची, दि0– 21.5.15

प्रतिलिपि : रांची के बाहर स्थित झारखंड राज्य के सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि वे अपने–अपने मुख्यालय में भी इस दिशा में उचित कार्रवाई करें ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक